(घ) इन फर्मों के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन के बिक्री कर प्राधिकारियो ने 7-4-67 को मेसर्स सूरजभान अग्रवाल ऐंड सन्स की फर्म, हार्डवयर मर्चेंट्स, चावडी बाजार, दिल्ली एव उसके मालिक के निवास स्थान, चावडी बाजार, दिल्ली मे छापा मारा और कुछ दस्तावेजो को कब्जे मे ले लिया। इन दस्तावेजो की जाच की जा रही है। फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न, तभी उठेगा जब दस्तावेज आदि की जाच के पश्चात् यदि यह सिद्ध हुआ कि व्यापारी ने संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली मे लागू बगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम के उपबन्धो के अधीन कुछ अनियमिताए की हैं। इसी प्रकार आय कर की अपवचन की गई राशि, यदि कुछ है, केवल सम्बन्धित आयकर के मूल्याकन-कार्य के पूरे होने पर जानी जा सकती है। अप्रैल, 1967 मे ऐसी किसी दूसरी फर्म पर छापा नही मारा गया था।

मंत्रियों के निजी सहायक (पर्सनल असिस्टेंट और सचिव

2332. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **गृह-कार्य** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मत्रिमडल के वर्तमान मत्रियो ने अपने राज्यों तथा अपनी ही जाति के लोगो को अपने निजी सहायक तथा सचिव नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हा, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) ऐसी कार्यवाही को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) से (ग) : मत्रियो को अपने निजी कर्मचारियो के चुनाव मे स्वाधीनता है जिससे कि वे ऐसे व्यक्तियो को चुन सकें जिन पर उन्हे विश्वास हो। निजी कर्मचारियो द्वारा कराये जाने वाले कार्य की प्रकृति के कारण इस प्रकार की स्वाधीनता आवश्यक समझी गई है। फिर भी, अधिकतर मामलो में ऐसे पदो पर नियुक्त व्यक्ति किसी न किसी सगठित सेवा से सम्बन्ध रखते है।

Reimbursement of Expenses for Policing International Border

2333. **Shri R. Barua:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to reimburse the expenses incurred by the Government of Assam in policing the international border and in supplying food ration to the Police Forces sent to Assam by the Union Government; and

(b) the break-up of these expenses from 1960 onwards?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) and (b). It will not be in the public interest to disclose the information asked for.

Unemployment among Engineers

2334. **Shri Sradhakar Supakar:**
Shri N. R. Laskar:
Shri Gunanand Thakur:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether there is a large scale unemployment and under-employment among the new Graduates and Overseers in most branches of Engineering; and

(b) whether in many educational institutions, the intake of students per annum is being consequently reduced?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a)

Information regarding unemployment and under-employment among engineering personnel is not available. The total number of job-seekers on the Live Register of Employment Exchanges in different branches of engineering (including graduates, diploma holders and those possessing practical experience) is shown below. Separate information for new graduates and diploma holders is not available.

Category	No. on Live Register as on 31-12-1966.
Civil Engineers	2,548
Overseers, Civil Engineering	7,972
Mechanical Engineers	9,197
Electrical Engineers	6,354
Chemical Engineers	150
Metallurgical Engineers	66
Mining Engineers	188

(b) According to information available with the Ministry of Education, the admissions in the Mining Engineering courses at the Degree and Diploma levels in the country is restricted to 50 per cent of the sanctioned capacity in the year 1967-68 in view of the unsatisfactory employment position of Mining Graduates and Diploma holders. The Government of Orissa have also decided to restrict the admissions to the Polytechnics and Engineering Colleges in their State to 50 per cent of the sanctioned capacity in the year 1967-68 because of the growing unemployment of engineers and technicians in the State and consequent less demand for admissions.

लेकडीह कोयला खान में दुर्घटना

2335. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनबाद से 30 मील दूर लेकडीह कोयला खान में तीन व्यक्ति दब कर मर गये थे और अनेक व्यक्ति घायल हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ;

(ग) दुर्घटना के कारण जान और माल की कितनी हानि हुई ; और

(घ) मृत व्यक्तियों के परिवारों तथा घायल व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ग) : शायद आशय उस दुर्घटना से है जो लेकडीह डीप कालियरी में 10 जनवरी, 1967 को हुई थी और जिसमें चार व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। किसी अन्य व्यक्ति को चोट लगने या किसी सम्पत्ति के नुकसान की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जब 10 लोडरा का एक गैंग विस्फोटित कोयले को एक समतल गैलरी में भर रहा था, जहां पानी मिश्रित रेत भरकर खम्बे हटाये जा रहे थे, छत के कोयले का एक ढेर जो अनुमानतः 8 मीटर × 5.5 मीटर × 1.2 मीटर था, 2 मीटर की ऊंचाई से अचानक गिर पड़ा और उसको गिरने से चार लोडरों की मृत्यु हो गई।

(घ) प्रबंधकों ने मुआवजा देना स्वीकार कर लिया है। उन्होंने आश्रितों को दिये जाने के लिए कर्मकार मुआवजा आयुक्त के पास मुआवजे की जो रकम जमा की है, वह मालूम नहीं है।

Cultural Agreement with Italy

2336. **Shri Ram Kishan Gupta:** Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether a cultural agreement has been signed with Italy; and

(b) if so, the main feature thereof?